न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 309/17

तारीख रजू— 08/09/2017

1. देवकरण पुत्र स्व0 टुण्डा स्व0 केसर (पिता व माता) जाति गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लोरवाड़ा तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सियाराम पुत्र स्व0 टुण्डा स्व0 केसर (पिता व माता) जाति गुर्जर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम लोरवाड़ा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
2. बदरी पुत्र स्व0 टुण्डा स्व0 केसर (पिता व माता) जाति गुर्जर उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम लोरवाड़ा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
3. गुलाब पुत्री स्व0 टुण्डा स्व0 केसर (पिता व माता) पत्नि स्व0 जैलाल जाति गुर्जर निवासी बाढ सोहन तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ग्राम लोरवाड़ा , तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
4. सन्तरा पुत्री पुत्र स्व0 टुण्डा स्व0 केसर (पिता व माता) जाति गुर्जर उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम लोरवाड़ा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर।

—रेस्पोडेन्टान

निर्णय दिनांक— 11.1.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम लोरवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 558 में पारित निर्णय दिनांक 24/10/77 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम लोरवाड़ा में नानगा पुत्र सदासुख के फौत होने पर रेस्पों0 सं0 2 बदरी के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। जिसमें अपीलार्थी का भी हिस्सा था। साथ ही नामान्तरकरण सं0 558 निर्णय दिनांक 24/10/77 वाके ग्राम लोरवाड़ा निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते बहस न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 अपीलान्ट के सगे भाई बहिन है। अपीलान्ट का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:—

सदासुख (फौत)

नानगा (फौत) नाऔलाद	गोदया (फौत) एकपुत्र हरिनारायण (नाऔलाद फौत)	ऊँकार(फौत) एक पुत्र टूण्डा (फौत)

गुलाब (पुत्री)	बदरी (पुत्र)	सियाराम(पुत्र)	देवकरण(पुत्र)	सन्तरा (पुत्री)

27/A

सदासुख (फौत) के तीन पुत्र थे, सबसे बडे पुत्र का नाम नानगा (फौत) जिसकी शादी नहीं हुयी तथा ना औलाद फौत हो गया था तथा गोदया (फौत) जिसका एक पुत्र हरियानारायण था जो भी नाऔलाद फौत हो गया तथा तीसरा पुत्र ऊँकार फौत ऊकांर का एक पुत्र टूण्डा भी फौत टूण्डा के पांच संतान थी जो अपीलान्ट तथा रेस्पों सं0 1 लगायत 4 है। अपीलान्ट का प्रारम्भ से संयुक्त हिन्दु परिवार रहा है। जिसकी सम्पति का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। रेस्पों0 सं0 2 बदरी ने नानगा का फर्जी गोद पुत्र बनकर नानगा की विरासत का नामान्तकरण हल्का पटवारी ग्राम लोरवाड़ा , गिरदावर व तहसीलदार सवाई माधोपुर से साज कर चुपचाप तरीके से अपने नाम खुलवा लिया है। जबकि बदरी रेस्पों0 सं0 2 कभी भी नानगा के गोद नहीं गया है ना ही बदरी नानगा का गोदपुत्र है। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 558 निर्णय दिनांक 24/10/77 बिना जांच किये तस्दीक किये जाने से एवं रेस्पों0 सं0 2 बदरी नानगा का पुत्र नहीं होने से शून्य एवं प्रभावहीन है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 558 निर्णय दिनांक 24/10/77 वाके ग्राम लोरवाड़ा निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि नानगा के कोई औलाद नहीं थी। नानगा के जीवनकाल में नानगा की देखरेख रेस्पों सं0 2 बदरी ने की थी तथा बदरी को ही नानगा के अपने जीवनकाल में गोद लिया था। उक्त गोदपुत्र के आधार पर ही नानगा की ग्राम लोरवाड़ में स्थित समस्त भूमि रेस्पों सं0 2 के नाम तस्दीक हुई है जो न्यायोचित है, साथ ही वकील रेस्पों0 ने नामान्तकरण संख्या 558 निर्णय दिनांक 24/10/77 वाके ग्राम लोरवाड़ा यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि रेस्पों0 सं0 2 ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नामान्तकरण सं0 367 के अवलोकन से यह पाया गया कि बदरी का बहैसियत पुत्र केसर के फौती इन्तकाल में टूण्डा के पुत्र की हैसियत से नामान्तकरण विरासत खोला गया है। दूसरी और रेस्पों0 सं0 2 ने नानगा के गोद के आधार पर नानगा की विरासत का नामान्तकरण सं0 558 के तहत उत्तराधिकारी का इन्तकाल खुलवाकर उसी आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। इस प्रकार बदरी द्वारा दोहरे इन्तकाल खुलवाया जाना व उनकी आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया। यदि बदरी टूण्डा का पुत्र है तथा नानगा के गोद गया है तो वह केवल मात्र नानगा की आराजीयात के संबंध में ही फौती व उत्तराधिकारी इन्तकाल खुलवाने का अधिकारी है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में बदरी द्वारा दोहरा लाभ लिया जाना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 558 आदेश दिनांक 24/10/77 वाके ग्राम लोरवाडा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर अन्दर तीन माह में आदेश प्रतिपादित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।